पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए प्रचार वाहन रवाना, 12 सितंबर को होगा आयोजन

लखनऊः 11 सितम्बर, 2026

माननीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ श्री मलखान सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजी गई प्रचार वाहन एवं पीआरवी वैन को न्यायालय प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 12.09.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय लखनऊ, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अर्जन पुनर्वासन प्राधिकरण, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, स्थायी लोक अदालत, श्रम न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, कलेक्ट्रेट एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जाएगा।

सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि आम जनमानस में व्यापक प्रचार के लिए आज प्रातः 10 बजे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मलखान सिंह ने प्रचार वाहन को रवाना किया। यह वाहन लखनऊ की समस्त तहसीलों, ब्लॉकों और दूर–दराज इलाकों में जाकर लोक अदालत के उद्देश्यों और लाभों की जानकारी देगा।

कार्यक्रम में समस्त न्यायिक अधिकारीगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस उपायुक्त/नोडल अधिकारी किरन यादव, कर्मचारीगण, पराविधिक स्वयं सेवक और पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे।

माननीय जनपद न्यायाधीश ने जनपद के सभी नागरिकों, अधिवक्ताओं और समाजसेवियों से अपील की है कि 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत का बढ़–चढ़कर लाभ उठाएं। पुराने मुकदमों को समाप्त करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर है।

सम्पर्क सूत्र– अमरेश कुमार

राघवेन्द्र/06:30 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in